

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खुर्जा, बुलन्दशहर
उपस्थिति:-श्रद्धा देवा (उ०प्र० न्यायिक सेवा)
परिवाद संख्या- 2816/2007

अनिता पत्नी केशव देव उर्फ कालू पुत्री वीरपाल सिंह निवासी ग्राम
शहबाजपुर भाल थाना खुर्जा देहात, जिला बुलन्दशहर।

..... परिवादनी

बनाम

1. केशवदेव उर्फ कालू पुत्र वीरपाल सिंह
2. नरेन्द्र उर्फ रीतू पुत्र वीरपाल सिंह
3. मुनेश देवी पत्नी वीरपाल सिंह
4. सीमा पुत्री वीरपाल सिंह
5. वीरपाल सिंह पुत्र नामालूम

समस्त निवासीगण ग्राम भूपाल की नगलिया, थाना गभाना, जिला अलीगढ़

.....अभियुक्तगण

धारा: 498A, 323, 504, 506 भा. द. संहिता
व 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना-खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर।

-:निर्णय:-

परिवादिनी अनिता पत्नी केशव देव उर्फ कालू पुत्री वीरपाल सिंह निवासी ग्राम शहबाजपुर भाल थाना खुर्जा देहात, जिला बुलन्दशहर की ओर से प्रस्तुत परिवाद पर अभियुक्तगण केशवदेव उर्फ कालू पुत्र वीरपाल सिंह, नरेन्द्र उर्फ रीतू पुत्र वीरपाल सिंह, मुनेश देवी पत्नी वीरपाल सिंह, सीमा पुत्री वीरपाल सिंह, वीरपाल सिंह पुत्र नामालूम समस्त निवासीगण ग्राम भूपाल की नगलिया, थाना गभाना, जिला अलीगढ़ के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 323, 504, 506 भा. द. संहिता व 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया है।

संक्षेप में परिवादिनी के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादनी की शादी करीब 8 वर्ष पूर्व केशव देव उर्फ कालू के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी तथा परिवादनी के पिता ने परिवादनी की शादी में लगभग मु० 3,00,000/-रूपये खर्च किये थे। परिवादनी की बहन कुसुम देवी की शादी केशवदेव के भाई नरेन्द्र सिंह के साथ हो चुकी है। शादी के बाद से ही परिवादनी व उसकी बहन को पति केशवदेव, जेठ नरेन्द्र उर्फ रीतू वीरपाल सिंह, सास मुनेश देवी, नन्द सीमा आदि कम दहेज की बाबत ताने व उलाहने देते लगे तथा परिवादनी के पिता के नाम की सारी भूमि को दोनो भाई अतिरिक्त दहेज में देने के लिये मांग करने लगे। परिवादनी के विरोध पर उक्त ससुरालजन परिवादनी व उसकी बहन को तंग व परेशान करते थे, मार पिटायी, उत्पीड़न तथा खाना भी समय पर नहीं देते थे। परिवादनी की बहन को उसके पति नरेन्द्र, ससुर वीरपाल, सास मुनेश व नन्द सीमा ने करीब छः माह पूर्व मार पिटायी कर घर से पहने कपडे में

निकाल दिया। दिनांक 10.10.2007 को समय करीब 8 बजे प्रातः परिवारिका का पति केशवदेव, जेठ व ससुर आदि परिवारिका के साथ लात घूसों से मार पिटायी करते हुये ग्राम शहबाजपुर भाल के सामने पर बुरी बुरी गालियां देते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये छोड गये और कह गये कि जब तक तू और तेरी बहन अपने पिता के नाम की सारी भूमि नरेन्द्र उर्फ रीतू व केशवदेव को अतिरिक्त दहेज के रूप में नहीं दिलाओगी हम तुम दोनो बहन को नहीं रखेंगे। मौके पर गवाहान भगवत सिंह पुत्र खूबी सिंह, राजवीर सिंह पुत्र बुद्धपाल सिंह आ गये जिन्होंने परिवारिका को बचाया। परिवारिका उक्त घटना की बाबत इलाका थाना पुलिस गयी परन्तु परिवारिका की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। परिवारिका ने उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को भी प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

परिवारिका का बयान धारा 200 द.प्र. संहिता के अधीन अंकित किया गया तथा धारा 202 द. प्र. संहिता के तहत राजवीर सिंह, कुसुम व भगवत सिंह को परीक्षित कराया गया, जिनके आधार पर अभियुक्तगण को धारा 498A, 323, 504, 506 भा. द. संहिता व 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुये न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 05.07.2008 के द्वारा विचारण हेतु तलब किया गया।

अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये, उनके द्वारा अपनी उक्त धारा में जमानत करायी गयी। तदोपरान्त धारा 244 द.प्र.संहिता के तहत पी.डब्लू.1 अनीता स्वयं परिवारिका पी.डब्लू.2 राजवीर सिंह व पी.डब्लू.3 के रूप में भगवंत सिंह को परीक्षित कराया तदोपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 25.05.2018 को धारा 498A, 323, 504, 506 भा. द. संहिता व 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोप विरचित किया गया, जिससे उन्होंने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

इसके उपरान्त धारा 246 द.प्र.सं. के तहत पी.डब्लू. 1 स्वयं परिवारिका अनीता, पी.डब्लू. 2 राजवीर सिंह व पी.डब्लू.3 भगवंत सिंह को परीक्षित कराया गया।

इसके उपरान्त अभियुक्तगण केशवदेव उर्फ कालू पुत्र वीरपाल सिंह, नरेन्द्र उर्फ रीतू पुत्र वीरपाल सिंह, मुनेश देवी पत्नी वीरपाल सिंह, सीमा पुत्री वीरपाल सिंह, वीरपाल सिंह पुत्र नामालूम समस्त निवासीगण ग्राम भूपाल की नगलिया, थाना गभाना, जिला अलीगढ़ का दिनांक 14.10.2019 को बयान अर्न्तगत धारा 313 द.प्र.संहिता अंकित किया गया, जिसमें उन्होंने परिवारिका के कथनों को असत्य बताते हुये कथन किया कि परिवारिका की विपक्षी केशव के साथ शादी होना व परिवारिका की बडी बहन कुसुम की शादी नरेन्द्र के साथ होना स्वीकार है बाकी कथन परिवारिका ने विपक्षी केशव के घर दामाद बनकर मायके मे रहने के लिये मनवाने हेतु झूठे लगाये है तथा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया।

मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का भलीभांति परिशीलन किया। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक बहस में यह तथ्य इंगित किया गया कि अभियुक्तगण

द्वारा दहेज की मांग के चलते परिवादिनी को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। दूसरी ओर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक बहस में कथन किया गया कि अनीता परिवादिनी व कुसुम दोनो ही सगी बहने है, दोनो के भाई नहीं है। नियमानुसार सारी सम्पत्ति उन्ही के पास आनी चाहिये और साक्षियों के ब्यानो में भारी विरोधाभास है। अनीता की शादी कुसुम की शादी से तीन वर्ष बाद हुई। दोनो बहने अपने पति को घर जमाई बनाकर रखना चाहती थी। सारे अभियुक्तगण निर्दोष है।

परिवादिनी को अभियुक्तगण के विरुद्ध सृजित आरोप अन्तर्गत धारा 498A, 323, 504, 506 भा. द. संहिता व 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम को संदेह से परे युक्तियुक्त रूप से साबित करना है।

विचारणीय बिंदु:-

प्रस्तुत मामले में विचारणीय बिंदू यह है कि क्या अभियुक्तगण केशवदेव उर्फ कालू पुत्र वीरपाल सिंह, नरेन्द्र उर्फ रीतू पुत्र वीरपाल सिंह, मुनेश देवी पत्नी वीरपाल सिंह, सीमा पुत्री वीरपाल सिंह, वीरपाल सिंह पुत्र नामालूम द्वारा धारा 498A, 323, 504, 506 भा. द. संहिता व 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अपराध कारित किया गया है?

साक्षी पी.डब्लू. 1 परिवादिनी अनीता द्वारा धारा 244 दं.प्र.संहिता के अधीन सशपथ कथन किया गया कि, " मेरी शादी केशव के साथ दिनांक 19.04.2000 को हुयी थी। मेरे माता पिता ने करीब तीन लाख रूपये खर्च किये थे। शादी मे दिये गये दान दहेज से ससुरालजन खुश नहीं थे। मेरे व केशव से सम्पर्क से एक लडकी व एक लडके तथा परिवाद डालते समय मैं गर्भवती थी। मेरे ससुरालजन मेरे साथ मारपीट, गाली गलौच व खाना भी नहीं देते थे। कुसुम मेरी बहन की शादी मेरी शादी से करीब तीन वर्ष पूर्व हुई थी। मेरे ससुराल वाले मेरी बहन को परेशान करते थे तथा मुझे ज्यादा परेशान करते थे। मेरे ससुराल वाले दोनो भाईयो के नाम जमीन करवाना चाहते थे। दिनांक 10.10.2007 को सुबह मुल्जिमान ने मारपीट कर गांव के बाहर मंदिर के पास सड़क पर छोड गये थे। वहां मौके पर गये खेतो में पानी लगा रहे राजवीर सिंह, भगवंत सिंह आ गये। मेरे गुम चोटें आयी थी। मैं थाने रिपोर्ट लिखाने गयी थी। मेरी थाने पर रिपोर्ट नहीं लिखी थी।"

साक्षी पी.डब्लू. 1 द्वारा अपने ब्यान अन्तर्गत धारा 246 दं.प्र.सं. में कथन किया गया कि, "मेरी बहन कुसुम की शादी मेरी शादी से तीन साल पहले हुई थी। इसके तीसरे साल में मेरी शादी उसके देवर से हुई थी। मेरी शादी से पहले इन्होंने जमीन नाम कराने वाली बात न तो मुझसे न मेरी बहन से कही थी। शादी के तीन साल बाद मेरी बहन व मुझसे हमारे पिता की जमीन को मेरी बहन के पति नरेन्द्र व मेरे पति केशव के नाम कराने वाली बात कही थी। परिवादनी की बहन कुसुम को पति नरेन्द्र, ससुर वीरपाल, सास मुनेश व ननद सीमा ने मारपिटार्ई करके निकाला था। इसमें केशव का नाम नहीं है। वकील साहब ने केशव का नाम क्यो नहीं लिखा मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। मेरे दावे में यह बात कि मौके पर गवाहान भगवत सिंह, राजवीर सिंह आ गये जिन्होने सारा वाक्या देखा, वाली बात

गलत है। मेरे दावे में राजवीर सिंह निवासी भूपाल नगलिया लिखा है गलत है क्योंकि वे शहबाजपुर के रहने वाले हैं। मेरी बहन को मुझसे छः माह पूर्व घर से निकाला था, जिसकी बाबत मेरी बहन ने इन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की थी। मेरी बहन ने मुझे घर से निकालने के बाद ही इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की थी। ”

साक्षी पी.डब्ल्यू. 2 राजवीर सिंह द्वारा धारा 244 दं.प्र.संहिता के अधीन सशपथ कथन किया गया कि, “ अनीता की शादी दिनांक 19.04.2000 को केशवदेव के साथ हुई थी। शादी में तीन लाख रुपये खर्च किये थे। शादी के बाद से ससुरालजन अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे और कहते थे कि सारी जमीन हमारे नाम कर दो। दहेज के लिये मारपीट करते गंदी गंदी गालियां देते तथा जान से मारने की धमकी देते थे। अनीता की बहन कुसुम की शादी तीन साल पहले हुई थी। कुसुम की शादी के बाद से ही उपरोक्त लोग अनीता के साथ मारपीट करने लगे। दिनांक 10.10.2007 को सुबह 8 बजे केशवदेव, नरेन्द्र, वीरपाल शहबाजपुर माता मंदिर के पास छोड़ गये। मैं भगवंत सिंह व अन्य गांव के लोग वहां पहुंच गये थे। जब हम पहुंचे तो उक्त लोग चले गये। अनीता के दो लड़के व एक लड़की पैदी हुई है। दहेज की सारी बात अनीता कुसुम ने बतायी थी। दहेज में जमीन मांगने वाली बात भी अनीता कुसुम ने बतायी थी।”

साक्षी पी.डब्ल्यू. 2 राजवीर सिंह द्वारा धारा 246 दं.प्र.संहिता के अधीन सशपथ कथन किया गया कि अनीता छोटी है कुसुम बड़ी है। कुसुम की शादी अनीता के जेठ से हुई है। अनीता की शादी कुसुम की शादी से दो वर्ष पहले हुई थी। मुझे अनीता को छोड़कर जाने वाली तारीख, महीना याद नहीं है वर्ष 2007 की बात है। अनीता की ससुराल में मैं 3-4 बार गया था, कब-कब गया हूं नहीं पता। मुझे तारीख भी नहीं पता किस किस तारीख को गया था। एक बार इनके लड़ाई दंगे में गया हूं। कुसुम ने भी इन लोगों के विरुद्ध मुकदमें चला रखे हैं। मुझे जानकारी नहीं है कि कितने मुकदमे चला रखे हैं, लेकिन मुकदमे चला रखे हैं।

साक्षी पी.डब्ल्यू. 3 भगवत सिंह द्वारा धारा 244 दं.प्र.संहिता के अधीन सशपथ कथन किया गया कि, “अनीता मेरे गांव की है। इसकी शादी वर्ष 2000 केशव के साथ हुई थी। अनीता केशवदेव उर्फ कालू पुत्र वीरपाल सिंह, नरेन्द्र उर्फ रीतू पुत्र वीरपाल सिंह, मुनेश देवी पत्नी वीरपाल सिंह, सीमा पुत्री वीरपाल सिंह, वीरपाल सिंह पुत्र नामालूम समस्त निवासीगण ग्राम भूपाल की नगलिया, थाना गभाना, जिला अलीगढ़के पिता ने करीब तीन लाख रुपये खर्च किये थे। शादी के बाद से अनीता के ससुराल वाले अनीता के बाप की जायजाद को लेने के चक्कर में थे। अनिता के कोई भाई नहीं है। ससुरालजन अनीता के साथ मारपीट करते थे। अनीता की बहन कुसुम भी इनके भाई नरेन्द्र के साथ तीन साल पहले शादी हुई थी। ससुरालजन, वीरपाल, नरेन्द्र, केशव, बहन व सास गाडी में बैठाकर लाये थे और छोड़ गये। मैं अपने खेत पर रोड के किनारे पर पानी लगा रहा था। उक्त लोगो ने अनीता के साथ मारपीट की और कहा कि जमीन हमारे नाम करा दे नहीं दो अपने मां बाप के घर पर ही रहना और अनीता को मय बचो के छोड़ गये। जान से मारने की धमकी दी।”

साक्षी पी.डब्लू. 3 भगवत सिंह द्वारा अपने ब्यान अर्न्तगत धारा 246 दं.प्र.सं. में कथन किया गया कि, "केशव के यहां मैं इनके आपसी झगडे के सम्बन्ध में गया था। पंचायत में वीरपाल, भगवत सिंह, राजेन्द्र सिंह, गजेन्द्र सिंह और बहुत से लोग पहले पंचायत में गये थे। मैं अनीता का गांव के नाते से बाबा लगता हूं। मेरे सामने एक बार भी अनीता के साथ उसके ससुराल वालो ने मारपीट नहीं की। अनीता व कुसुम दो बहने हैं और कोई बहन या भाई नहीं है। वीरपाल सिंह के पास करीब 15 बीघा जमीन है। मारपीट करके दोनो बहनों को एक साथ निकाला था। किस तारीख को निकाला था याद नहीं है। कुसुम ने कोई कार्यवाही की थी फिर दुबारा कोई कार्यवाही नहीं की।"

साक्ष्य का विश्लेषण:-

उपर्युक्त गवाहो के बयानों के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट सिद्ध होता है कि कुसुम व अनीता दोनो सगी बहने हैं। वे अपने पिता की मात्र संताने हैं एवं उनके कोई भाई नहीं है। यह तथ्य भी बयानो से स्पष्ट हो कि कुसुम की शादी अनीता की शादी से तीन वर्ष पूर्व हुई थी एवं ससुरालीजन कुसुम को भी परेशान करते थे। यहां यह तथ्य परिवादिनी स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं कर पायी कि यदि बड़ी बहन को ससुराल में दहेज को लेकर परेशान किया जाता है तो वह अपनी छोटी बहन की शादी उसी घर में क्यों होने देगी? अन्यथा भी यदि कुसुम व अनीता के कोई भाई नहीं है तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार भी उनके पिता की सम्पत्ति उनके ही नाम आयेगी। पी.डब्लू.1 अनीता द्वारा अपने साक्ष्य अर्न्तगत धारा 246 दं.प्र.सं. में यह कथन किया गया है कि, "मेरी शादी से पहले इन्होंने जमीन नाम कराने वाली बात न तो मुझसे न मेरी बहन से कही थी। मेरी शादी के तीन साल बाद मेरी बहन व मुझसे हमारी पिता की जमीन को मेरी बहन के पति नरेन्द्र व मेरे पति केशव के नाम कराने वाली बात कही थी।" यदि अनीता की शादी के तीन साल बाद जमीन नाम कराने वाली बात कही गयी तो यहां संदेह इस बात पर उत्पन्न होता है कि फिर ससुरालीजन कुसुम को किस बात पर परेशान किया करते थे? एक प्रमुख कथन जो कि पी.डब्लू.1 द्वारा अपने ब्यान अर्न्तगत धारा 246 दं.प्र.सं. में किया गया है वह यह कि, "मेरे दावे में राजवीर सिंह पुत्र बुद्धपाल सिंह निवासी भूपाल की नगलिया लिखा है गलत है क्योंकि ये शहबाजपुर के रहने वाले है।" जिससे कि साक्षी राजवीर पुत्र बुद्धपाल के साक्ष्य की विश्वसनीयता खंडित होती है। वहीं साक्षी पी.डब्लू.3 भगवत सिंह द्वारा साक्ष्य अर्न्तगत धारा 246 दं.प्र.सं. में यह कथन किया गया है कि, "मेरे सामने एक बार भी अनीता के साथ उसके ससुराल वालो ने मारपीट नहीं की। अनीता व कुसुम दो बहने हैं और कोई बहन या भाई नहीं है।" जिससे कि इस साक्षी के घटना दिनांकित 10.10.2007 व अन्य किसी दिन भी परिवादिनी के साथ मारपीट के तथ्य की पुष्टि नहीं होती है।

धारा 498 ए भारतीय दंड संहिता यह प्रावधानित करती है कि, "जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुये, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा।" इस परिवाद में परीक्षित साक्षियों के ब्यान

अर्न्तगत धारा 244 व 246 से ऐसी कोई क्रूरता सिद्ध नहीं होती है जिससे कि अभियुक्तगण द्वारा किया गया कृत्य इस श्रेणी में आ सके। परिवादिनी के स्वयं के कथनों में भारी विरोधाभास प्रकाश में आता है। एक ओर जहां वह 244 दं.प्र.सं. के साक्ष्य में कथन करती है कि ससुरालीजन उसकी बहन को भी परेशान करते थे एवं उसकी बहन कुसुम ने उसकी शादी करवाने का भी प्रयास किया वहीं परिवादिनी ब्यान अर्न्तगत धारा 246 दं.प्र.सं. में यह कथन करती है कि सम्पत्ति नाम कराने की बात न तो बहन कुसुम से की न ही मुझसे। शादी के तीन वर्ष बाद जमीन नाम कराने की बात कही। साक्षी पी.डब्लू.2 राजवीर सिंह व पी.डब्लू.3 भगवत सिंह द्वारा भी क्रूरता के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट तथ्य अंकित नहीं कराया गया है। अतः परिवादी पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498 ए आई.पी.सी. के अर्न्तगत आरोप संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहे हैं।

धारा 323 आई.पी.सी. यह प्रावधानित करती है कि, "जो भी व्यक्ति जानबूझकर किसी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है, उसे किसी एक अवधि के लिये कारावास जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या एक हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।" परिवादिनी अनीता द्वारा अपने ब्यान अर्न्तगत धारा 246 दं.प्र.सं. में कथन किया गया है कि छः माह पूर्व पति नरेन्द्र, ससुर वीरपाल, सास मुनेश व ननद सीमा ने पिटायी करके पहले तीन कपड़ों में निकाल दिया। साक्षी पी.डब्लू. 3 भगवत सिंह द्वारा अपने ब्यान अर्न्तगत धारा 246 दं.प्र.सं. में यह कथन किया कि मेरे सामने एक बार भी अनीता के साथ उसके ससुरालवालो में मारपीट नहीं की। जिससे यह तथ्य विवादित हो जाता है कि क्या परिवादिनी अनीता के साथ उसके ससुरालीजन द्वारा मारपीट की गयी ? पत्रावली पर परिवादिनी द्वारा कोई उपहति आख्या संलग्न नहीं की गयी है जिससे कि इस तथ्य की पुष्टि हो सके कि परिवादिनी के साथ उसके ससुरालीजन द्वारा मारपीट की गयी हो। अतः साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण पर धारा 323 आई.पी.सी. का आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं होता है।

धारा 504 आई.पी.सी. का आरोप साबित करने हेतु परिवादी पक्ष को यह साबित करना होगा कि अभियुक्तगण द्वारा साशय पीडित को अपमानित किया गया, जिससे वह प्रकोपित हुआ एवं अभियुक्त इस तथ्य को जानते थे या उन्हें इस तथ्य का ज्ञान था, कि ऐसा व्यक्ति लोकशांति भंग करेगा अथवा कोई अन्य अपराध करेगा।

किसी व्यक्ति को शब्दों अथवा आचरण द्वारा अपमानित किया जा सकता है, यदि अपमान शब्दों द्वारा किया जा सकता है तो प्रयुक्त शब्द अश्लीलबोधक ही नहीं बल्कि उससे कुछ अधिक होने चाहिये। अच्छे आचरण का उल्लंघन मात्र ही इस धारा के अधीन अपराध गठित नहीं करता, यदि अपमान की प्रकृति ऐसी है कि कोई अन्य अपराध किया जाये, तभी इस धारा के अर्न्तगत अपराध गठित होगा। इस सम्बन्ध में साक्षी पी.डब्लू. 1 अनीता, पी.डब्लू.2 राजवीर सिंह व पी.डब्लू. 3 भगवत सिंह द्वारा न तो ब्यान अर्न्तगत धारा 244 सी.आर.पी.सी. न ही ब्यान अर्न्तगत धारा 246 सी.आर.पी.सी. में ऐसा कोई शब्द अथवा आचरण प्रकाश में लाया गया जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि अभियुक्तगण द्वारा धारा 504 भा.दं.सं. के

अधीन अपराध किया गया हो। अतः परिवादी पक्ष धारा 504 आई.पी.सी. के तहत आरोप को सिद्ध करने में असफल रहा है जिस कारण अभियुक्तगण धारा 504 भा.दं.सं. के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

धारा 506 भारतीय दंड संहिता के सम्बन्ध में परिवादी पक्ष को यह साबित करना कि परिवादिनी अनीता को अभियुक्तगण द्वारा उसके शरीर को क्षति कारित करने के सम्बन्ध में धमकी दी गयी, जिसके कि परिवादिनी को संत्रास कारित हुआ या वह कोई कार्य करने से विरत रही, या कोई वैध कार्य करने का लोभ किया। समस्त साक्षियों के ब्यानों के परिशीलन से ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादिनी पर ऐसा कोई संत्रास कारित किया गया हो। यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि धारा 506 भारतीय दंड संहिता के आरोप को साबित करने हेतु अभियुक्तगण द्वारा परिवादिनी को दी गयी धमकी वास्तविक होनी चाहिये। यदि धमकी इस प्रकार की नहीं है तो अभिन्नास कारित करने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। चूंकि साक्ष्य के परिशीलन से धारा 506 भा.दं.सं. का आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं होता है अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 506 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

धारा 3/ 4 दहेज प्रतिधेष अधिनियम 1961 के अन्तर्गत दहेज देना एवं दहेज मांगना दोनो ही कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। प्रस्तुत मामले में परिवादिनी अनीता द्वारा अभियुक्तगण पर प्रमुख रूप से यह आक्षेप लगाया गया है कि अभियुक्तगण उससे अपने पिता की जमीन अपने नाम कराना चाहते थे। सभी साक्षियों के ब्यानों से यह तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि परिवादिनी एवं उसकी सगी बहन कुसुम का विवाह एक ही घर में दो सगे भाईयो के साथ हुआ। परिवादिनी की बहन कुसुम का विवाह परिवादिनी के विवाह से तीन वर्ष पूर्व हो चुका था, यदि पीडिता को दहेज हेतु प्रताडित किया जाता तो सामान्य बुद्धि के अनुसार उसका विवाह ऐसे घर में नहीं किया जाता जहां कि उसकी बडी बहन को भी दहेज को लेकर प्रताडित किया जा रहा हो। जैसा कि ब्यानों से सिद्ध होता है कि कुसुम व अनीता अपने पिता की एकमात्र संताने हैं एवं उनका कोई भाई नहीं है, ऐसी परिस्थिति में उनके पिता की सम्पत्ति /जमीन की उत्तराधिकारी भी दोनो पुत्रियां ही होती। परिवादिनी द्वारा अपने ब्यान अन्तर्गत धारा 244 दं.प्र.सं. व ब्यान अन्तर्गत धारा 246 दं.प्र.सं. में सिर्फ खेत को नाम कराने के सम्बन्ध में ही प्रताडित किये जाने का तथ्य अंकित किया है अन्य किसी वस्तु अथवा नगद को लेकर दहेज की मांग का कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आता है। यह भी ध्यान देने योग्य बिंदू है कि अभियुक्तगण परिवादिनी से यदि दहेज की मांग करते हैं तो सामान्य प्रज्ञा के अनुसार वह उसके पिता के द्वारा दिये गये दान दहेज से खुश नहीं थे जबकि उसकी ही बडी बहस से ससुरालीजन ने तीन वर्ष पूर्व विवाह संबंध स्थापित किये थे। यहां यह बात असामान्य दर्शित होती है यदि ससुरालीजन कुसुम से विवाह कर दिये गये दान दहेज से खुश नहीं थे तो वह उसी परिवार की छोटी पुत्री अनीता से विवाह क्यों करते ? यहां यह तथ्य भी प्रकाश में लाना अनिवार्य है परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अपनी बहन कुसुम को परीक्षित नहीं

कराया गया है। अतः सभी ब्यानों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण पर 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप परिवादी पक्ष संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है।

निष्कर्ष:-

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियुक्तगण केशवदेव उर्फ कालू पुत्र वीरपाल सिंह, नरेन्द्र उर्फ रीतू पुत्र वीरपाल सिंह, मुनेश देवी पत्नी वीरपाल सिंह, सीमा पुत्री वीरपाल सिंह, वीरपाल सिंह पुत्र नामालूम समस्त निवासीगण ग्राम भूपाल की नगलिया, थाना गभाना, जिला अलीगढ़ के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 323, 504, 506 भा. द. संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण केशवदेव उर्फ कालू पुत्र वीरपाल सिंह, नरेन्द्र उर्फ रीतू पुत्र वीरपाल सिंह, मुनेश देवी पत्नी वीरपाल सिंह, सीमा पुत्री वीरपाल सिंह, वीरपाल सिंह पुत्र नामालूम समस्त निवासीगण ग्राम भूपाल की नगलिया, थाना गभाना, जिला अलीगढ़ के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 323, 504, 506 भा. द. संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है। उनके बन्धपत्र निरस्त पर प्रतिभुओं को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वह धारा 437-ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अंकन 20,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र, इसी धनराशि की दो जमानते एवं इस आशय की अंडरटेकिंग दाखिल करें कि यदि इस मामले में अपील होती है तो अपीलीय न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर वह अपीलीय न्यायालय में नियत तिथि पर उपस्थित होगा।

दिनांक 29.01.2022

(श्रद्धा देवा)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खुर्जा, बुलन्दशहर।
जे.ओ. कोड-यू.पी.2268

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 29.01.2022

(श्रद्धा देवा)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खुर्जा, बुलन्दशहर।
जे.ओ. कोड-यू.पी.2268